तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रकाश चौधरी बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार बिलाड़ा) सू.अ.अ. अपील संख्या 174 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.12.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रकाश चौधरी पुत्र भेराराम पता 54, जाटों का बास, ग्राम रामासनी वाया भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.09.17. में उसके द्वारा (1) दिनांक 21.05.2015 को आयोजित केम्प में ग्राम पंचायत रामासनी के खसरा संख्या 13, 74, 209, 301, 217, 213 के करवाए गये हककर्नामे की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ां) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के उक्त बिन्दुओं से संबंधित प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	